न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 113/2024 अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. इमामखान पुत्र सिधिकखान 2. उरसाखान पुत्र खमीशा 3. चनणेखान पुत्र खमीशा 4. मखणी पत्नी नसरूदीन 5. माझीखान पुत्र खमीशा 6. रईसखान पुत्र नसरूदीन 7. हनीफ पुत्र नसरूदीन जाति मुसलमान, निवासी नागड़दा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. खनिज अभियता खान एवं भू विज्ञान विभाग, बाड़मेर 2. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री देवीलाल कुमावत।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 29.07.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 471/66 रकबा 10.5218 हैक्टेयर मौजा नागड़दा, तहसील शिव में आया हुआ है, जिसमें प्रार्थीगण के रहवासी ढाणी, टांका व मवेशियों के लिए बाड़े आदि बने हुए है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थी तहसीलदार शिव के आधिपत्य व खनिज संभावित आरक्षित भूमि के खेत खसरा नम्बर 1112/803 रकबा 3.7231 हैक्टेयर मौजा हकीम की बस्ती, तहसील शिव में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण के आधिपत्य की भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थीगण का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारों को नया रास्ता खोलने की जानकारी दी गई कि मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम व सुगम है तथा आवागमन हेतु एकमात्र विकल्प है। उक्ता प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है तथा मुरडा डाला हुआ है। उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु मौजा हकीम की बस्ती, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1112/803 कुल रकबा 3.7231 हैक्टेयर में से रकबा 0.1052 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त रास्ते की चौड़ाई 08 मीटर है। वरिष्ठ भू वैज्ञानिक खान एवं भू विज्ञान विभाग बाड़मेर द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता के संबंध में भू निरीक्षण उपरांत रास्ता कटाण का निवेदन करने पर पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब व तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश नहीं करने पर उनका अवसर बंद किया गया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन कि तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में मौजा हकीम की बस्ती, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1112/803 में रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जो सरकारी खसरा है तथा खनिज संभावित आरक्षित भूमि है। प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 1112/803 रकबा 3.7231 हैक्टेयर में से रकबा 0.1052 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण की उपस्थिति में तैयार की गई है तथा प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम एवं सुगम विकल्प है, जो मौके पर चालू है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 08 मीटर है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। चूंकि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि राजकीय भूमि होने तथा प्रार्थीगण को आत्यांतिक आवश्यकता होने पर रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिफल राशि प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा करवाई जाकर रास्ता कटाण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 471/66 रकबा 10.5218 हैक्टेयर मौजा नागड़दा, तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के आधिपत्य के मौजा हकीम की बस्ती, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 1112/803 रकबा 3.7231 हैक्टेयर में से 0.1052 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 29.07.2024 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner